

कड़कनाथ मुरगे को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग

चेन्नई स्थिति GI पंजीकरण कार्यालय ने मध्य प्रदेश राज्य को मुरगे की एक प्रजाति कड़कनाथ के लिये भौगोलिक संकेतक (GI) टैग दे दिया है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास ट्रस्ट, झाबुआ ने इसके लिये वर्ष 2012 में आवेदन किया था।

प्रमुख बंदि

- कड़कनाथ मुरगा मूलतः मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ, अलीराजपुर और धार ज़िले के कुछ भागों में पाया जाता है।
- छत्तीसगढ़ द्वारा भी कड़कनाथ मुरगे पर GI टैग की मांग की जा रही थी। लेकिन अंततः मध्य प्रदेश के दावे को मान्यता दी गई।
- कड़कनाथ मुरगा मेलानिन वर्णक के कारण काले रंग का होता है। इसलिये इसे कालीमासी भी कहा जाता है।
- इसके पंख, माँस, हड्डियाँ और खून भी काले रंग के होते हैं। सामान्य मुरगे का खून लाल रंग का होता है।
- यह औषधीय गुणों से युक्त होता है तथा यह मुरगे की अन्य प्रजातियों से अधिक पोषक और सेहत के लिये लाभकारी होता है।
- जहाँ अन्य मुरगे में 18-20% प्रोटीन पाया जाता है वहीं, कड़कनाथ मुरगे में 25% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपेक्षाकृत कम पाई जाती है और आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है।
- चिकन की अन्य कस्मों की तुलना में कड़कनाथ मुरगे का उच्च-प्रोटीन युक्त माँस, चूजे और अंडे बहुत ज़्यादा कीमत पर बेचे जाते हैं।

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication-GI)

- एक भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएँ एवं प्रतियोगिता भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- उदाहरण के तौर पर- दार्जलिगि की चाय, जयपुर की ब्लू पोटरी, बनारसी साड़ी और तरिपता के लड्डू कुछ प्रसिद्ध GI टैग हैं।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर GI का वनियमन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) पर समझौते के तहत किया जाता है।
- वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (Geographical Indications of goods 'Registration and Protection' act, 1999) के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था।
- वर्ष 2004 में 'दार्जलिगि टी' जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिये मान्य होता है।

GI पंजीकरण के लाभ

- यह भारत में भौगोलिक संकेतक के लिये कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- दूसरों के द्वारा किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत प्रयोग को रोकता है।
- यह भारतीय भौगोलिक संकेतक के लिये कानूनी संरक्षण प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप निर्यात को बढ़ावा मिलता है।
- यह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है।

हाल ही के GI टैग

- पश्चिम बंगाल को रसगुल्ला (Banglar Rasgolla) के लिये नवंबर 2017 में GI टैग दिया गया।
- आंध्र प्रदेश को विशाखापत्तनम में वराह नदी के तट पर अवस्थित एटिकोप्पाका गाँव के लकड़ी के खलौनों (Etikoppaka Bommalu) के लिये नवंबर 2017 में GI टैग दिया गया।
- पश्चिम बंगाल को गोबदिगढ़ चावल के लिये अगस्त 2017 में GI टैग दिया गया।
- केरल का नलामबुर टीक, मामलपुरम (तमलिनाडु) का पत्थर स्थापत्य आदिहाल ही में दिये गए अन्य GI टैग हैं।

